

अनुक्रमांक :

वन क्षेत्राधिकारी (मुख्य) परीक्षा-2021 हेतु आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों की चैकलिस्ट

क्र० सं०	विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्र	संलग्नक है अथवा नहीं (यदि है तो बाक्स में टिक ✓ करें)
1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र।	
2.	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र।	
3.	स्नातक उपाधि।	
4.	स्नातक अंतिम वर्ष/अंतिम सेमस्टर की अंक तालिका।	
5.	अधिमानी अर्हता- (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा पूर्ण की हो या (ख) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या (ग) राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।	
6.	SC/ST/OBC/EWS आरक्षण संबंधी सक्षम स्तर से जारी प्रमाण-पत्र।	
7.	पूर्व सैनिकों हेतु डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) कि पूर्व में पूर्व-सैनिक के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर किसी सरकारी सेवा में सेवायोजित नहीं हुये हैं। (यदि लागू हो)।	
8.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।	
9.	अनाथ बच्चों हेतु प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।	
10.	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।	
11.	न्यूनतम ऊंचाई के मानक में छूट सम्बन्धी प्रमाण-पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट-2 पर (यदि लागू हो)।	
12.	केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र या सेवायोजक को अनापत्ति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र (यदि लागू हो)।	
13.	अभ्यर्थी के नाम/पिता/माता के नाम में विभिन्न प्रमाण-पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा पत्र मूल रूप में। (निर्धारित प्रारूप पर)	

लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण एवं अधिवास संबंधी समस्त प्रमाण-पत्र, विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। ओ0बी0सी0(OBC) प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से 03 वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर निर्गत होना चाहिए। EWS प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 01 वर्ष से अधिक पूर्व का निर्गत नहीं होना चाहिए।

(अभ्यर्थी का नाम व हस्ताक्षर)